

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री भेरूलाल मेघवाल

विपक्षी :- राज्य

किस्म मुकदमा :- 136 एलआरएक्ट

पत्रावली संख्या :- 190/25 वाद

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/605

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 07.10.2025 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार द्वारा पत्रावली तैयार कर मय रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया नक्शा शुद्धि प्रस्तावित किया। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम मण्डप का ढाणा पटवार हल्का पलाना खुर्द तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 45 पर दर्ज आराजी नम्बर 982/565 रकबा 0.5747 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 57 पर दर्ज आराजी नम्बर 565 मीन रकबा 0.5747 हैक्टेयर भूमि पूर्व में सामलाती थी। जिसका सहमति विभाजन सन् 2001 में किया गया। जिसके अनुसार पालना राजस्व रिकॉर्ड में की गई। परन्तु सेग्रीगेशन (जमाबंदी ऑनलाईन करते समय) नक्शा ट्रेस में सहमति विभाजन/लट्ठा नक्शा अनुसार आराजी नम्बर दर्ज नहीं कर आराजी नम्बर 982/565 की जगह आराजी नम्बर 565 दर्ज कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी ऑनलाईन का कार्य करते समय राजस्व नक्शे में आराजीयात साबिक लट्ठा नक्शा/सहमति विभाजन अनुसार दर्ज नहीं कर अपने मनमुताबिक दर्ज कर दिया गया। जबकि राजस्व कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम आदेश के ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शे में की गई त्रुटि को सुधारा जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम मण्डप का ढाणा पटवार हल्का पलाना खुर्द तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 45 पर दर्ज आराजी नम्बर 982/565 रकबा 0.5747 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 57 पर दर्ज आराजी नम्बर 565 मीन रकबा 0.5747 हैक्टेयर भूमि को राजस्व नक्शे में तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार दर्ज की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

